

कार्यालय जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी हस्तांतराद

पत्रांक/मान्यता/ १८३७३-५०० / २०१४-१५ दिनांक ०६.१२.१४
प्रबन्धक,

एच.एम.एफ.ए. भेमो. स्कूल

करारी भैंडेली, हण्डिया, इलाहाबाद।

विषय—निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009 की धारा 10 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम—2010 के नियम 15 के संपन्नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 27.08.2014 के आवेदन और इस समस्त में विद्यालय ये साथ परवातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से एच.एम.एफ.ए. भेमो. स्कूल, करारी भैंडेली, हण्डिया, इलाहाबाद को तारीख 01.07.2015 से तारीख 30.06.2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा प्री-प्राइमरी, प्राइमरी एवं जूनियर डाइ-स्कूल स्तर सक (अंग्रेजी माध्यम) के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संस्कृता देता है।

उपरोक्त भैंडेली निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यादीन हैं।

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संवर्धन करने के लिए कोई व्याध्यता विधिवित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009 (उपर्युक्त 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम—2010 (उपर्युक्त 2) के उपर्युक्तों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथारिति नसरी कक्षा में) उस कक्षा में यालकों का संख्या के 25 प्रतिशत तक अत्यं पाठ्यस के कमज़ोर, बर्गों और सुविधा विहीन समूह के यालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा ही जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपर्युक्तों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसे प्रतिपूर्तियों प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक वृद्धक रैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालयविकासी कैमिटेशन युल्क का संग्रहण नहीं करेगा और दिसी बालक या उसके नाता दिता वा दिसी उल्लेन प्रक्रिया के अध्ययन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का समूह न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपर्युक्तों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
 - (i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक का विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में छेंडा नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यादीन नहीं किया जायेगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई शोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण पत्र दिया जायेगा।
 - (v) अधिनियम के उपर्युक्त के अनुसार निःशक्ति ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - (vi) अव्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यालय अव्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
 - (vii) अध्यपक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कारब्यों को पालन करता है, और
 - (viii) अव्यापक स्वयं को किसी निजी अव्यापक विद्यालयका नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यवर्चयों के आधार पर पाठ्यग्रन्थ का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गंधी प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं—

- विद्यालय परिसर या क्षेत्रफल
- | | |
|---|----|
| पूर्व निर्मित शैक्षणिक | 10 |
| मीडा रथला या क्षेत्रफल | 03 |
| कक्षाओं की संख्या | ६ |
| प्राप्त्यापक साइर्ट या कार्यालय साइर भण्डार पो लिए गए | १ |
| बालक और यालिकाओं को लिए पृथक शैद्यालय | ५ |
| पेशजल शैक्षणिक | ५ |
| भिजे हुए भौतिक पकाने को लिए रसोई | ५ |
| वाधारहित पहुंच | ५ |
- अध्यापन पठन सामग्री/मीडा खेताकूद उपरकरों/पुरस्ताकालय की उपलब्धता है
8. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर भान्यता प्राप्त करारं नहीं चलाई जायेगी।
 9. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या मीडा रथल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
 10. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिगियम 1860 (1860 का 21) पे अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त घिरी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्याय द्वारा चलाया जा रहा है।
 11. स्कूल को किसी व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
 12. विद्यालय के लेखाओं की किसी धार्टस अकाउन्टेन्ट द्वारा संपर्कित की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति ग्राम्यक वर्ग जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
 13. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 59 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी दृग्दाचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
 14. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रसंस्कृत करता है जो समय समय पर योग्य निदेशक/जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और सम्बुद्ध सरकार/राजनीय प्राधिकारों के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो भान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
 15. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
 16. संलग्न उपांच के अनुसार अन्य कोई शर्त नहीं।

भवदीय

(योजकमाल)
जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी
इलाहाबाद।

तात्पर्याकारी

प्र०सं०/

/2014-15

तात्पर्याकारी

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. सर्विय, उ०प्र० वेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
 2. सहायक शिक्षा निदेशक (वेसिक), इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।
 3. जिला समाज कल्याण अधिकारी/पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/अत्य संख्यक कल्याण अधिकारी, इलाहाबाद।
 4. सम्बुद्ध खण्ड शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद।
 5. खण्ड शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद।
 6. कार्यालय गार्ड फाइल।

(राजकमाल)